# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

2

**अनुमति वाद संख्या :– 359 / 18–19**

**(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)**

**सहारा भेंगरा – विक्रेता**

**रोहित भेंगरा – क्रेता**

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित |
|---|---|---|
| 31.08.21 | | |

## आदेश

आवेदक सहारा भेंगरा पिता स्व0 बुधुवा भेंगरा ग्राम–चकला, डोड़मा, पो0–ड़ोडमा, थाना–तोरपा, जिला खूँटी ने रोहित भेंगरा पिता श्री ठुमा भेंगरा ग्राम–चुरगी, पो0–तोरपा, थाना–तोरपा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

| ग्राम | थाना नं0 | खाता नं0 | खेसरा सं0 | रकबा (एकड में) |
|---|---|---|---|---|
| चकला | 27 | 21 | 234 | 0.30 |

आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र, खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0512005572 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 777 दिनांक 27.08.19 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम बीरसा पाहन है। पंजी II के अनुसार बुधुवा पाहन के नाम भूमि का रकवा 9.91 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 8.91 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018–19 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 11768.00(ग्यारह हजार सात सौ अड़सठ) रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष रकवा 8.61 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना तोरपा के निवासी हैं एंव एक ही समुदाय (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, तोरपा ने क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, तोरपा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण सहारा भेंगरा पिता स्व0 बुधुवा भेंगरा को रोहित भेंगरा पिता श्री ठुमा भेंगरा के साथ ग्राम चकला के खाता सं0 21 खेसरा संख्या 234 कुल रकबा 0.30 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 11768.00(ग्यारह हजार सात सौ अड़सठ) रू0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, तोरपा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

Digitally signed by JITENDRA MUNDA
Date: 2021.09.13 16:28:19 +05:30
Location: 192.168.225.41

लेखापित एवं संशोधित

31/08/21

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

31/08/21

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।